छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, दिनांक 01/01/2020

क्रमांक एफ 20–51/2019/11/6 : राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका–15.1 में वर्णित तालिका के बिन्दु क्रमांक–1 तथा परिशिष्ट–6.1 के प्रावधान "ब्याज अनुदान योजना" को क्रियान्वित एवं अधिसूचित करने हेतु **"छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम – 2019"** निम्नानुसार लागू करता है :–

1– परिचयः–

राज्य में स्थापित होने वाले पात्र सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के उद्योगों एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सेवा उद्यम की उत्पादन लागत कम करने, निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने, राज्य में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाने, अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी, विदेशी तकनीकी वाले उद्यमी, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, निःशक्त/दिव्यांग वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग, महिला स्व–सहायता समूह, एफपीओ (Farmer Producers Organisation) तथा तृतीय लिंग को औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने हेतु ब्याज अनुदान की योजना का विस्तार किया गया हैं।

यह अधिसूचना पात्र उद्योगों की नवीन स्थापना, विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, शवलीकरण (डायवर्सीफिकेशन)/प्रतिस्थापन, लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग व कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना व इनके विस्तार तथा फिल्म उद्योग के विकास हेतु फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, साउंड रिकार्डिंग स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग तथा औद्योगिक नीति के अंतर्गत मान्य उद्योग/उद्यम से संबंधित गतिविधियों पर लागू होगी।

2– नियम :–

यह नियम **"छत्तीसगढ राज्य ब्याज अनुदान नियम– 2019"** कहे जायेंगे ।

3– प्रभावशील तिथि :–

यह नियम **दिनांक 01 नवंबर, 2019** से **31 अक्टूबर, 2024** तक प्रभावशील रहेंगे ।

4– परिभाषाएं :–

इस अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु वही परिभाषाएं लागू होंगी जो औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–1 पर उल्लेखित हैं।

5– पात्रता :–

5.1– औद्योगिक नीति 2019–24 की कालावधि दिनांक 01 नवंबर, 2019 से 31 अक्टूबर, 2024 तक नीति में वर्णित अनुसार श्रेणी के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–4 में दर्शाये गये संतृप्त श्रेणी (अपात्र) उद्योगों को छोड़कर शेष नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम सेवा उद्यम के उद्योगों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन

प्रारंभ करने पर उनकी परियोजना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त/पंजीयन प्राप्त वित्तीय संस्थाओं तथा अधिसूचित बैंकों से प्राप्त किये सावधि ऋण (Term Loan) पर संबंधित वित्त पोषक संस्था/ बैंक को भुगतान किये गये ब्याज के विरूद्ध अनुदान की पात्रता होगी।

5.2– विद्यमान उद्योगों को औद्योगिक नीति 2019–24 की कालावधि में अर्थात् दिनांक 01 नवंबर, 2019 से 31 अक्टूबर, 2024 तक विद्यमान उद्योग में विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन कर संबंधित उत्पाद का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–4 में दर्शाये गये संतृप्त श्रेणी (अपात्र) के उद्योगों को छोड़कर, इसके लिये उनके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त/पंजीयन प्राप्त वित्तीय संस्थाओं तथा अधिसूचित बैंकों से प्राप्त किये सावधि ऋण (Term Loan) पर संबंधित वित्त पोशक संस्था/बैंक को भुगतान किये गये ब्याज के विरूद्ध अनुदान की पात्रता होगी।

5.3– लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना तथा पूर्व स्थापित लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज के विस्तार को औद्योगिक दृष्टि से विकसित, विकासशील, पिछड़े एवं अति पिछड़े विकासखण्डों हेतु परिशिष्ट–7 (अ, ब, स एवं द) में निर्धारित मात्रा में निवेश के आकार एवं निवेशकों के वर्ग हेतु सामान्य उद्योगों की भांति निर्धारित दर के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन कंडिका 6 "अनुदान की मात्रा" शीर्षक के तहत् तालिका के अनुरूप अनुदान की पात्रता होगी ।

लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) की स्थापना के संबंध में राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 20–120/2009/11/(6) दिनांक 6 जनवरी 2012 के मापदण्ड, दिशा–निर्देश लागू होंगे।

5.4– औद्योगिक नीति 2019–24 के अन्तर्गत राज्य में फिल्म उद्योग के विकास एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित समस्त गतिविधियों (फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, साउंड रिकार्डिंग स्टूडियों की स्थापना तथा फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित समस्त स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण से संबंधित) हेतु लिये गये सावधि ऋण पर सामान्य नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु प्रावधानित अनुदान की पात्रता परिशिष्ट–6.1 "ब्याज अनुदान" शीर्षक में वर्णित तालिका के अनुरूप होगी ।

5.5– यह आवश्यक है कि उद्योग में नवीन स्थापना, विद्यमान उद्योग के विस्तार/ शवलीकरण/प्रतिस्थापन हेतु वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 05 वर्षो की अवधि तक राज्य के मूल निवासियों को अकुशल श्रमिकों में 100 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/ प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार प्रदाय किया गया हो ।

सेवा उद्यमों यथा लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, फिल्म उद्योग से संबंधित प्रकरणों में वाणिज्यिक रूप से कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से उपरांकित शर्त का पालन नियमों में निर्धारित अवधि तक करना होगा।

5.6– भारत सरकार/राज्य शासन या इनके निगमों/मंडलों/संस्थाओं/ बोर्ड की अन्य स्वरोजगार योजनाओं के अर्न्तगत वित्त पोषित औद्योगिक इकाईयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी, यदि उन्हें वित्त पोषण रियायती ब्याज दर पर किया गया हो।

5.7– भारत सरकार/राज्य शासन अथवा इसके किसी निगम/ बोर्ड /मंडल /आयोग/वित्तीय संस्था/बैंक से अनुदान प्राप्त किया गया हो, तो इस अधिसूचना के अर्न्तगत पात्रता नहीं होगी।

5.8– राज्य शासन की किसी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अपात्र उद्योग, जिनका उद्योग 31 अक्टूबर, 2019 तक की स्थिति में विद्यमान रहा है व औद्योगिक नीति 2019–24 में संतृप्त (अपात्र उद्योग) श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित नहीं है, ऐसे विद्यमान उद्योगों को विद्यमान उद्योग के विस्तार/ शवलीकरण/प्रतिस्थापन पर अनुदान की पात्रता होगी ।

5.9– ब्याज अनुदान की पात्रता अवधि में यदि किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा पूर्व बैंक/ वित्तीय संस्था से जिसने पूर्व में ऋण स्वीकृत व वितरित किया था, से ऋण अधिग्रहित किया जाता है तो ऐसी दशा में भी ब्याज अनुदान की पात्रता इकाई की मूल पात्रता अवधि तथा मूल ऋण की मूल मात्रा तक होगी। बशर्ते स्पष्टतः सत्यापित हो। नवीन संस्था द्वारा केवल ऋण अधिग्रहण इस संबंध में ही ऋण खाता संचालित किया जाएगा अर्थात् अतिरिक्त ऋण पर इन नियमों के अंतर्गत पात्रता नही होगी।

5.10– जिन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद औद्योगिक इकाईयों एवं सेवा उद्यम उद्योग ने नियत दिनांक 01.11.2019 के पूर्व उद्योग स्थापना हेतु वैध उद्योग आकांक्षा/ आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेन्स धारित किया हो अथवा राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं एम.ओ.यू प्रभावशील हो किंतु औद्योगिक नीति 2014–19 की कालावधि समाप्त होने के दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो। उन्हें औद्योगिक नीति 2019–24 के अन्तर्गत (औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–4 में दर्शायें गये अनुसार उद्योग न होने पर) इस अधिसूचना के अधीन राज्य शासन द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत करने एवं ग्राहय होने पर अन्यथा अपात्र न होने की स्थिति में अनुदान प्राप्त करने का विकल्प एवं पात्रता होगी। पात्रता का निर्धारण औद्योगिक नीति 2019–24 के कंडिका क्रमांक 15.14 में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

5.11– ब्याज अनुदान का प्रथम स्वत्व पात्र औद्योगिक इकाईयों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक/ अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ ऋण वितरण के प्रथम दिनांक जो पश्चातवर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर पूर्ण रूपेण निर्धारित ऑनलाईन पद्धति के अनुसार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। आगामी क्लेम केवल छः माही आधार पर अगले छः माह के भीतर संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में ऑनलाईन ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित कालावधि के पश्चात प्रस्तुत किये गये स्वत्व स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किये जायेंगें।

यहां प्रथम स्वत्व से तात्पर्य है, ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक/अधिसूचना जारी होने के दिनांक/ऋण वितरण के प्रथम दिनांक जो पश्चातवर्ती हो, की तिथि को चल रहे वित्तीय वर्ष की अवधि में 30 सितम्बर तक अथवा 31 मार्च तक, जो पहले हो ।

5.12– नवीन मेगा प्रोजेक्ट हेतु निर्धारित अनुदान की पात्रता हेतु यह आवश्यक है राज्य शासन द्वारा निर्धारित मात्रा में न्यूनतम प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम निवेश की मात्रा में पूंजी निवेश करें।

6– <u>**अनुदान की मात्रा :–**</u>

6.1 पात्र सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम एवं वृहद उद्योग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सेवा उद्यम के उद्योगों को उनके द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा–

6.2– कंडिका 5.3 एवं कंडिका 5.4 के पात्रताधारियों को भी पात्रता अनुरूप इसी तालिका अनुसार अनुदान की पात्रता होगी।

6.3— क्षेत्रवार/श्रेणीवार अनुदान — पात्र औद्योगिक इकाईयों द्वारा लिए गए सावधी ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार क्षेत्रवार/श्रेणीवार ब्याज अनुदान दिया जावेगा —

	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग			प्राथमिकता उद्योग			उच्च प्राथमिकता उद्योग		
		अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रू. लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रू. लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षो में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रू. लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	5	40	10	6	50	15	**7**	50	20
	ब	6	45	15	7	50	20	**8**	50	25
	स	7	55	25	8	60	30	**9**	60	35
	द	8	65	30	10	70	40	**11**	70	45
मध्यम वृहद उद्योग	अ	5	25	20	5	35	30	**6**	35	35
	ब	5	30	30	5	40	40	**7**	40	45
	स	7	50	40	8	60	50	**9**	60	55
	द	8	60	40	10	70	50	**11**	70	55

6.4— औद्योगिक नीति 2019—24 की कंडिका 21 के प्रावधान के अनुसार सामान्य उद्योगों के लिए निर्धारित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (अ एवं ब श्रेणी के विकासखण्डों में संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम निवेश रू. 15 लाख की सीमा तक तथा स एवं द श्रेणी के विकासखण्डों में अधिकतम निवेश में रू. 25 लाख की सीमा तक) के तहत् राज्य शासन द्वारा पृथक से परिभाषित/चिन्हित/घोषित सेवा उद्यम को ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

6.5— (अ) विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का विस्तार :—

विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विस्तार पर ब्याज अनुदान की मात्रा विद्यमान उद्योग के विस्तार हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी ।

विद्यमान उद्योग में औद्योगिक नीति 2019—24 की कार्यावधि में जितनी बार भी विस्तार किया जावें, विस्तार पर अनुदान की कुल अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिका में अंकित अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

(ब) विद्यमान मध्यम एवं वृहद् उद्योगों का विस्तार :—

विद्यमान मध्यम एवं वृहद उद्योगों के विस्तार पर ब्याज अनुदान की मात्रा विद्यमान उद्योग के विस्तार हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी ।

विद्यमान उद्योग में औद्योगिक नीति 2019—24 की कार्यावधि में जितनी बार भी विस्तार किया जावें, विस्तार पर अनुदान की कुल अधिकतम सीमा उपरोक्त तालिका में अंकित अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

6.6— विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का शवलीकरण/प्रतिस्थापन :—

विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के शवलीकरण/प्रतिस्थापन के प्रकरणों में अनुदान की मात्रा शवलीकृत/प्रतिस्थापित उत्पाद के उत्पादन प्रारंभ करने हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी। शवलीकरण/प्रतिस्थापन करने पर अनुदान की अधिकतम सीमा भी उपरोक्त तालिका के अनुसार होगी, चाहे औद्योगिक नीति 2019—24 की अवधि में जितनी बार भी शवलीकरण/प्रतिस्थापन किया जावें।

प्रतिस्थापन के प्रकरणों में यह आवश्यक होगा कि सूक्ष्म औद्योगिक इकाई के मामले में औद्योगिक नीति 2019–24 के नियत दिनांक को अथवा उसके पश्चात् विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा अपने मूल प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेशित पूंजी का न्यूनतम 125% निवेश, बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना अनुसार, पूंजी निवेश कर पुरानी मशीनों को प्रतिस्थापित किया जाता है एवं कुल रोजगार में 10% की वृद्धि होती हो तो उन्हें वर्तमान नीति की अवधि में उत्पादन होने पर स्थायी पूंजी निवेश के अंतर्गत निवेशित राशि के 50% तक की सीमा में छूट की पात्रता होगी। इस हेतु प्रतिस्थापन हेतु प्रस्तावित मशीनों को न्यूनतम 15 वर्ष पुराना होना चाहिये। साथ ही आयकर विवरणी में उनकी कीमत 20% से कम होना चाहिये (After Depriciation) तथा इकाई पूर्व अवधि में कम से कम 10 वर्ष तक लगातार DPR में उल्लेखित पूर्ण क्षमता तक कार्यरत रही हो। यह भी आवश्यक होगा कि इकाई द्वारा दिनांक 01.10.2019 के पश्चात प्रतिस्थापन के लिए अभिस्वीकृति प्राप्त करें। साथ ही दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक अथवा इसके पूर्व उत्पादन प्रारंभ करना होगा।

प्रतिस्थापन के प्रकरणों में, गणना के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इकाई द्वारा प्लांट, मशीनरी के प्रतिस्थापन हेतु यदि रू. 20 लाख का निवेश किया गया है, ऐसी स्थिति में उसे रू. 20 लाख के 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 10 लाख को इन नियमों के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश मान्य कर पात्रता अनुसार अनुदान देय होगा। तदानुसार केवल रू. 10 लाख के विरूद्ध नियत सीमा एवं अवधि के लिए ब्याज अनुदान देय होगा।

6.7– विद्यमान मध्यम एवं वृहद् उद्योगों का शवलीकरण/प्रतिस्थापन :–

विद्यमान मध्यम एवं वृहद उद्योगों के शवलीकरण/प्रतिस्थापन के प्रकरणों में अनुदान की मात्रा शवलीकृत/प्रतिस्थापित उत्पाद के उत्पादन प्रारंभ करने हेतु लिये गये सावधि ऋण पर उपरोक्त तालिका अनुसार प्राप्त होगी । शवलीकरण/प्रतिस्थापन करने पर अनुदान की अधिकतम सीमा भी उपरोक्त तालिका के अनुसार होगी, चाहे औद्योगिक नीति 2019–24 के कार्यवाही में जितनी बार भी शवलीकरण/प्रतिस्थापन किया जावें।

प्रतिस्थापन के प्रकरणों में यह आवश्यक होगा कि सूक्ष्म औद्योगिक इकाई के मामले में औद्योगिक नीति 2019–24 के नियत दिनांक को अथवा उसके पश्चात् विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा अपने मूल प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेशित पूंजी का न्यूनतम 125% निवेश, बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना अनुसार, पूंजी निवेश कर पुरानी मशीनों को प्रतिस्थापित किया जाता है एवं कुल रोजगार में 10% की वृद्धि होती हो तो उन्हें वर्तमान नीति की अवधि में उत्पादन होने पर स्थायी पूंजी निवेश के अंतर्गत निवेशित राशि के 50% तक की सीमा में छूट की पात्रता होगी। इस हेतु प्रतिस्थापन हेतु प्रस्तावित मशीनों को न्यूनतम 15 वर्ष पुराना होना चाहिये। साथ ही आयकर विवरणी में उनकी कीमत 20% से कम होना चाहिये (After Depriciation) तथा इकाई पूर्व अवधि में कम से कम 10 वर्ष तक लगातार DPR में उल्लेखित पूर्ण क्षमता तक कार्यरत रही हो। यह भी आवश्यक होगा कि इकाई द्वारा दिनांक 01.10.2019 के पश्चात प्रतिस्थापन के लिए अभिस्वीकृति प्राप्त करें। साथ ही दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक अथवा इसके पूर्व उत्पादन प्रारंभ करना होगा।

प्रतिस्थापन के प्रकरणों में, गणना के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इकाई द्वारा प्लांट, मशीनरी के प्रतिस्थापन हेतु यदि रू. 20 लाख का निवेश किया गया है, ऐसी स्थिति में उसे रू. 20 लाख के 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 10 लाख को इन नियमों के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश मान्य कर पात्रता अनुसार अनुदान देय

होगा। तदानुसार केवल रू. 10 लाख के विरूद्ध नियत सीमा एवं अवधि के लिए ब्याज अनुदान देय होगा।

6.8— औद्योगिक नीति 2019—24 की कालावधि मे राज्य में स्थापित निजी औद्योगिक पार्कों में स्थापित नवीन/पात्र अन्य औद्योगिक इकाईयों को अनुदान की दर उद्यमी के वर्ग हेतु निर्धारित दर से 10 प्रतिशत अधिक होगी एवं अनुदान की अधिकतम् सीमा भी उद्यमी के वर्ग हेतु निर्धारित अधिकतम् सीमा से 10 प्रतिशत अधिक होगी।

6.9— राज्य के अनुसूचित जनजाति/ जाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त, राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार, निःशक्त/दिव्यांगों एवं तृतीय लिंग के उद्यमी को औद्योगिक नीति 2019—24 के परिशिष्ट—6.1 में दर्शित अनुसार सामान्य उद्यमियों को दिए जाने वाले अनुदान के 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा अनुदान की अधिकतम् सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक रहेगी, साथ ही अनुदान की अवधि में भी प्रत्येक प्रकरणों में एक वर्ष अधिक की छूट दी जावे।

6.10— अनुदान की गणना अवधि नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार एवं शवलीकरण/प्रतिस्थापन की योजनाओं पर स्वीकृत सावधि ऋण के वितरण के प्रथम दिनांक से प्रारंभ होगी। अन्य सेवा उद्यमों, फिल्म उद्योग से संबंधित क्रियाकलापों में भी अवधि की गणना प्रथम ऋण वितरण के दिनांक से प्रारंभ होगी।

6.11— पूर्ण वर्ष का क्लेम नियमानुसार किये जाने पर ही वार्षिक अधिकतम सीमा तक अनुदान की पात्रता होगी, एक वर्ष से न्यून क्लेमों के निराकरण हेतु वार्षिक अधिकतम सीमा को तदनुसार विभाजित कर अनुदान स्वीकृत किया जावेगा।

6.12— अनुदान केवल ब्याज की मूल देय राशि के भुगतान के विरूद्ध देय होगा अर्थात विलंब शुल्क, शास्ति या अन्य किसी अतिरिक्त देय राशि पर इन नियम के अंतर्गत अनुदान प्राप्त नहीं होगा। कालांतर में मूल ऋण के अतिरिक्त लिये गये ऋण पर भी ब्याज अनुदान देय नहीं होगा।

6.14— यदि अनुदान की कोई कालावधि छः मास में समय पर ब्याज या मूलधन की किश्त न जमा अन्य किसी कारण से ऋणी को सबंधित वित्त पोषित संस्था/बैंक द्वारा "ऋण न चुकाने वाला" (Defaulter) माना जाता है तो उसे उस कालावधि का ब्याज अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। किसी कालावधि में "एक बार ऋण न चुकाने वाला" (Defaulter) हो जाने पर उस कालावधि की ब्याज अनुदान की पात्रता समाप्त हो जायेगी, भले ही आगामी कालावधि में, पूर्व की कालावधि के डिफाल्ट को दूर कर लिया जाए, इस संबंध में वित्त पोषक संस्था को प्रत्येक कालावधि का पृथक से प्रमाण पत्र देना होगा।

7— **<u>प्रक्रिया व अधिकार</u>** :—

7.1— पात्र औद्योगिक इकाईयों को ऑनलाईन पद्धति के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जो वित्त पोषक बैंक / वित्तीय संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षरित हो, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में एक प्रति में एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में दो प्रतियों में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ सबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा।

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र यह सुनिश्चित करेंगे अपूर्ण प्रकरण प्राप्त होने पर अपूर्णता से संबंधित कमियों को पूर्ण करने /अभिलेख जमा करने हेतु प्रकरण प्राप्त होने के साथ 10 दिवसों के भीतर सूचित

किया जावेगा। निर्धारित 10 दिवसों की अवधि में प्रकरण की कमियॉ पूर्ण न होने पर अपूर्ण प्रकरण स्वमेव निरस्त मान्य होगा।

(1) लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/उद्योग आकांक्षा/ आई.ई.एम./ आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस (जो लागू हो)/उत्पादन प्रमाण पत्र

(2) औद्योगिक इकाई के विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन से संबंधित प्रकरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया वैध अभिस्वीकृति पत्र।

(3) अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र।

(4) निःशक्त/दिव्यांग से संबंधित प्रकरणों में निःशक्तता से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(5) सेवा निवृत्त सैनिक से संबंधित प्रकरणों में संबंधित प्रशासकीय विभागीय/ कार्यालय से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(6) नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(7) तृतीय लिंग से संबंधित प्रकरणों में प्रशासकीय विभाग/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया वैध प्रमाण पत्र।

(8) महिला स्व सहायता समूह तथा एफपीओ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय किया गया वैध प्रमाण पत्र।

(9) ऋण स्वीकृति पत्र (सिर्फ पहले आवेदन के साथ), उसके पश्चात् स्वीकृति पत्र में संशोधन/ परिर्वतन होने पर सबंधित क्लेम अवधि में संशोधित ऋण स्वीकृति पत्र।

(10) संबंधित अवधि का बैंक स्टेटमेंट।

(11) प्राथमिकता/उच्च प्राथमिकता श्रेणी से संबंधित मान्यता पत्र (यदि लागू हो)।

(12) वित्तीय संस्थाओं / बैंकों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि सबंधित क्लेम अवधि में (छः मास) में ऋण का भुगतान नियमित रूप से किया गया है तथा औद्योगिक इकाई किसी भी रूप में "ऋण न चुकाने वाला" (Defaulter) नहीं है या यदि ऋण के भुगतान हेतु स्थगन दिया हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थगन प्रमाण पत्र।

7.2– औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत ब्याज अनुदान सबंधी आवेदन ऋण वितरण के प्रथम दिनांक के पश्चात छः माही आधार पर संबंधित मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा। प्रारंभ में प्रस्तुत किया गया प्रथम स्वत्व ऋण वितरण के प्रथम दिनांक से, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक, अधिसूचना जारी होने के दिनांक अथवा ऋण वितरण के प्रथम दिनांक जो पश्चातवर्ती हो, की तिथि को चल रहे वित्तीय वर्ष की अवधि में 30 सितम्बर तक अथवा 31 मार्च तक (जो पहले हो) प्रस्तुत किया जावेगा। पश्चातवर्ती छःमाही क्लेम 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक की अवधि हेतु एवं 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक की अवधि के होंगें।

अनुदान स्वीकृतकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि आवेदन के पूर्ण होने पर पूर्ण आवेदन पत्रों को उनके क्रम में स्वीकृति/ अस्वीकृति की कार्यवाही करें।

7.3– मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रस्तुत स्वत्वों का परीक्षण ऑनलाईन पद्धति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सेवा उद्यमों, फिल्म उद्योगों के विकास एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों तथा मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में स्थल निरीक्षण व परीक्षण उपरांत स्वत्वों के नियमों के अनुसार होने पर निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन पद्धति से स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा।

उपरोक्त से भिन्न प्रकरणों में अर्थात् वृहद उद्योगों के प्रकरणों में महाप्रबंधक/प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से स्थल निरीक्षण व परीक्षण उपरांत अपने अभिमत/अनुशंसा के साथ आवेदन पत्र की एक प्रति सत्यापित सहपत्रों सहित पूर्ण आवेदन प्रस्तुत होने के 30 दिवसों के भीतर आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जावेगा, जिस पर आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्णय लिया जावेगा एवं प्रकरण पूर्ण एवं नियमानुसार होने पर ऑनलाईन पद्धति में निर्धारित प्रारूप अनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा।

7.4– स्वत्व के नियमानुसार न होने /अपूर्ण होने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से सहमत न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी होने के निर्धारित अवधि 45 दिवसों के भीतर अपीलीय अधिकारी को अपील करने का प्रावधान का भी उल्लेख करना होगा।

7.5– उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा ब्याज अनुदान के बजट का आबंटन अनुदान स्वीकृति के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा।

7.6– बजट आबंटन उपलब्ध होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था /बैंक को अनुदान की राशि सीधे औद्योगिक इकाई के खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी.एस. (रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट)/एनईएफटी प्रणाली अथवा तत्समय इकाई के खाते में सीधे अनुदान जमा करने की प्रणाली अनुसार प्रेषित की जावेगी जिसे सबंधित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के खाते में जमा करना होगा। अनुदान की राशि किसी भी स्थिति में नगद में नहीं दी जायेगी। मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति के दिनांक के क्रम में किया जावेगा।

7.7– स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् ही अनुदान वितरण की कार्यवाही प्रारंभ होगी ।

7.9– बजट आबंटन के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा, न ही अनुदान राशि पर कोई ब्याज देय होगा। अनुदान राशि का भुगतान आगामी बजट आबंटन प्राप्त होने पर किया जा सकेगा।

7.10– राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार का सत्यापन उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/ उसंचा–रा/ 2005/ 9766–81 दिनांक 13 जून 2006 के द्वारा किया जायेगा।

8— "ब्याज अनुदान" की वसूली—

8.1— ब्याज अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई के ऋण खाते मे जमा हो जाने के पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई /बैंक /वित्तीय संस्था द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से की जा सकेगी ।

8.2— उपरोक्तानुसार वसूली राशि भू—राजस्व के बकाया वसूली की भांति की जा सकेगी ।

8.3— स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि ब्याज अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भी नियमानुसार नहीं पाये जाने अथवा किसी त्रुटिपूर्ण अभिलेख के आधार पर की गई स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं यदि ब्याज अनुदान की राशि संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक को भुगतान कर दी गई हो तो वसूली आदेश जारी कर सकें।

8.4— औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात् यदि बाद में स्वत्वों की अवधि के दौरान रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त कंडिका क्रमांक 5.5 में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो ऐसी अवधि में अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी तथा अनुदान की राशि संबंधित स्वत्व को निरस्त कर वापस प्राप्त की जा सकेगी, भविष्य के क्लेमों में समायोजित की जा सकेगी।

8.5— यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित स्थायी जाति प्रमाण—पत्र / निःशक्त से संबंधित प्रमाण—पत्र / सेवानिवृत्त सैनिक से संबंधित प्रमाण—पत्र / नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रमाण—पत्र तृतीय लिंग/अप्रवासी भारतीय/ एफ0डी0आई0 निवेशक/ निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक वाले उद्योग या महिला उद्यमी से संबंधित प्रमाण—पत्र/महिला स्व सहायता समूह/एफपीओ संबंधी प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त अनुदान की राशि भू—राजस्व की तरह वसूली योग्य होगी ।

8.6— उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा योजना से संबंधित या कोई जानकारी/अभिलेख मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये ।

8.7— यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो।

8.8— उपर्युक्त बिन्दु 8.1 से 8.7 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किये जाऐंगे ।

9— अपील /वाद —

9.1— मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ को की जा सकेगी। आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के समक्ष की जा सकेगी ।

9.2– अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील अर्थात् द्वितीय अपील (मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित मूल आदेशों के संबंध में) भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के समक्ष की जा सकेगी। आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ के मूल आदेशों के विरूद्ध राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के समक्ष अपील की जा सकेगी।

9.3– सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क प्रत्येक स्तर पर रूपये 1000 (यथा लागू कर अतिरिक्त) एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रूपये 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी। अनुसूचित जाति/जनजाति/ निःशक्त/दिव्यांग/तृतीय लिंग के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा ।

9.4– अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा ।

9.5– अपीलीय अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार कर निर्णय कर सकेंगे। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

10 **अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :–**

(1) जिन औद्योगिक इकाईयों ने रू. 20 लाख वार्षिक से अधिक अनुदान प्राप्त किया है, उन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान प्राप्त होने के वर्ष से 5 वर्ष तक स्वप्रमाणित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे ।

(2) औद्योगिक इकाई को अनुदान की पात्रता अवधि में तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पश्चात् समाप्त होने वाले न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग कार्यरत रखना होगा ।

(3) ब्याज अनुदान की पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष तक उद्योग आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ की लिखित पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा फैक्ट्री के अधोसंरचना तथा स्थायी परिसम्पतियों में कोई सारवान परिर्वतन नहीं किया जावेगा। आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ को प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर इन बिन्दुओं पर निर्णय लेने का अधिकार होगा ।

(4) अनुदान की पात्रता अवधि में राज्य के मूल निवासियों को अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्र. 5.5 में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा ।

11— **स्वप्रेरणा से निर्णय :—**

भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, एवं आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

12— योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ सक्षम होंगे एवं ब्याज अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मार्गदर्शन दिया जा सकेगा।

13— इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

14— **योजना का क्रियान्वयन**

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

15— नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग